भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3483
उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026
19 श्रावण, 1948 (शक)

खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण तक पहुंच

3483. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:
सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थियों वाले भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) प्रशिक्षण केंद्रों, विशेष क्षेत्र खेलों (एसएजी) और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के केंद्र, देश के राज्यों में असमान रूप से वितरित हैं और जिला-वार कवरेज पर स्पष्टता का अभाव है;

(ख) महाराष्ट्र में एसएआई केंद्रों का ब्यौरा क्या है और नामांकित किए गए एससी/एसटी/ओबीसी युवाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि एसएआई में रिक्तियां और स्टॉफ की कमी इसकी सहज सुलभता को सीमित करती है तथा ग्रामीण और आदिवासी युवाओं को इससे नुकसान होता है;

(घ) क्या सरकार ने सांगली, सोलापुर, नंदूरबार, भंडारा, अमरावती और धुले के एससी / एसटी / ओबीसी प्रशिक्षुओं को समान रूप से कोचिंग, प्रतियोगिता का अनुभव और प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के समावेशन में सुधार के लिए एसएआई इन अवसरों की उपलब्धता चयन पारदर्शिता और निगरानी में अंतराल को पाटने का किस प्रकार प्रस्ताव करता है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेल सुविधाओं के सृजन सहित खेलों के संवर्धन और विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है ।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, उपयुक्त खेल अवसंरचना की उपलब्धता, खेल प्रतिभा तथा तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा महाराष्ट्र के कांदिवली, मुंबई और छत्रपति संभाजीनगर में 02 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) संचालित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा पहचान प्रतियोगिता (एनएसटीसी) अखाड़ा स्कीम भी कार्यशील है। इसका विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

साई की खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत एथलीटों का चयन संबंधित स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मेधा के आधार पर किया जाता है। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों सहित सभी पात्र एथलीटों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। तथापि, श्रेणी-वार (एससी/एसटी/ओबीसी) नामांकन संबंधी आंकड़ों का केंद्रीय रूप से अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ग) साई में विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों को हाल ही में संशोधित किया गया है। विभिन्न पदों पर भर्ती संशोधित भर्ती नियमों और लागू प्रक्रियाओं के अनुसार शासित होती है। आवश्यकतानुसार, केंद्रों पर कोचों की तैनाती की गई है। कोचिंग संवर्ग के पुनर्गठन के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

(घ) सांगली, सोलापुर, नंदुरबार, भंडारा, अमरावती और धुले सहित महाराष्ट्र के सभी जिलों के एथलीट निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन साई की प्रतिभा पहचान और चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं। एथलीटों का चयन मेधा के आधार पर किया जाता है तथा चयनित एथलीटों को देश के किसी ऐसे साई प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश दिया जाता है, जहां संबंधित खेल/विधा कार्यशील हो और रिक्तियां उपलब्ध हों। चयनित एथलीटों को संबंधित स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार देशभर में साई प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण, प्रतियोगिता एक्सपोजर तथा अन्य अनुज्ञेय सहायता प्रदान की जाती है। भागीदारी अथवा प्रवेश के लिए कोई जिला-विशिष्ट प्रतिबंध लागू नहीं है।

(ङ) साई अपनी खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार पारदर्शी, मेधा-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से सुगम्यता, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देता है। एथलीटों की पहचान, प्रतिभा पहचान और विकास समिति (टीआईडीसी) द्वारा संबंधित स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार ओपन सलेक्शन ट्रायल, राष्ट्रीय चैंपियनशिपों और अन्य मान्यताप्राप्त प्रतियोगिताओं के माध्यम से की जाती है। इन उपायों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि निर्धारित पात्रता मानदंडों के अध्यधीन, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली एथलीटों को समान अवसर मिलें।

अनुबंध–I

खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण तक पहुंच के संबंध में डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश, सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे और श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा दिनांक 10.08.2026 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3483 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों (एनसीओई) तथा अपनाए गए अखाड़ों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र/केंद्र का नाम	खेल विधा
राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई)		
1	कांदिवली	कुश्ती
2	छत्रपति संभाजीनगर	तीरंदाजी, तीरंदाजी (पैरा), मुक्केबाजी, फेंसिंग, फेंसिंग (पैरा), जिमनास्टिक, हॉकी और भारोत्तोलन
अपनाए गए अखाड़े		
1	गवर्नमेंट रेसलिंग सेंटर, कोल्हापुर	कुश्ती
2	गुलसाची रेहाली अखाड़ा, पुणे	
3	हर हर महादेव, मरोटी नगर, धुले	
4	जय शिव रे एजुकेशन सोसायटी, कोल्हापुर	
5	जोग महाराज व्यायामशाला, पुणे	
6	किशनवीर अखारा, भुइज, सतारा	
7	क्रीड़ा विकास व्यायाममंडल, सांगली	
8	एमएन देशमुख आर्ट्स साइंस कॉलेज, अहमदनगर	
9	कोल्हापुर जिला राष्ट्रीय तालीम केंद्र, कोल्हापुर	
10	एन. एल. बालकवाडी व्यायामशाला, 102 तिलकपथ, नासिक	
11	रंगनाथ मरकड़ क्रीडा एवं युवक मंडल, पुणे	
12	वीर हनुमान कला क्रीडा, सांगली	
13	विश्वात्मक जंगली महाराज कुश्ती केंद्र, अहमदनगर	
14	मामासाहेब मोहोल रेसलिंग अखाड़ा, कात्रज, पुणे	
